|| मैनुअल–13 ||

(अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां)

विभाग के प्रत्येक जनपद में वर्तमान में उर्वरक वितरण सहकारिता विभाग द्वारा साधन सहकारी समितियों के माध्यम से किया जा रहा है। उर्वरक/कृषि रक्षा रसायन वितरण करने हेतु उन्हें अनुज्ञापत्र जनपद स्तर से मुख्य कृषि अधिकारी/कृषि रक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त ही जारी किये जाते है। वर्तमान में सभी जनपदो में उर्वरक/कृषि रक्षा रसायन/प्रमाणित बीज वितरण कुछ निजी विक्रेताओं द्वारा भी यह कार्य किया जा रहा है उन्हें भी जनपद स्तर से निर्धारित शुल्क चालान द्वारा जमा कराये जाने के उपरान्त उर्वरक नियन्त्रण आदेश नियमावली/बीज अधिनियम के अर्न्तगत दिये गये नियमों के अनुरूप पूर्ण कार्यवाही कर लाईसेंस जारी किये जाते है।